RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Contempt Petition No. 1161/2023

Ahnaf Ali S/o Insaf Ali

----Petitioner

Versus

Aparna Arora

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Siddharth Bapna, Adv. Mr. Nitin Jain, Adv. Mr. Banwari Singh, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. G. S. Gill, AAG Mr. Kapil Vyas, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

09/10/2025

S.B. Civil Writ Petition No. 15590/2016 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2018 की कथित अवहेलना के संबंध में यह अवमानना याचिका वर्ष 2023 में प्रस्तुत की गई है, लम्बे समय तक राज्य सरकार व उनके अधिकारियों की ओर से आदेश की पालना नहीं किये जाने पर समकक्ष पीठ के द्वारा गंभीरता से लेते हुए विपक्षी क्रम–2 तथा जिला कलक्टर, कोटा को व्यक्तिशः तलब किया गया था, उसके उपरांत विपक्षीगण द्वारा कुछ कार्यवाही प्रारंभ करने का तथ्य प्रकट हुआ है, उससे पहले निरंतर निष्क्रियता प्रकट हुई है। व्यक्तिगत रूप से तलब किये जाने के बाद अब यह बताया गया है कि राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 22.05.2013 के विरूद्ध रिट याचिका 12 वर्ष पश्चात् दिनांक 07.03.2025 को प्रस्तुत की गई है, जो विपक्षीगण की उदासीनता व निष्क्रियता को दर्शित करती है, उनकी इस प्रकार की कार्यप्रणाली से न्यायिक आदेशों का पालन नहीं होता है और परिणामस्वरूप संबंधित पक्षकारों को गंभीर असुविधा होती है तथा न्यायालयों का कीमती समय, जो सद्भाविक पक्षकारों के लिए है, अपव्यय होता है, अतः यह स्थिति गंभीर है और ऐसे मामलों में कठोरता का रूख अपनाया जाना उचित है।

विपक्षी क्रम–1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जी. एस. गिल वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहते हैं।

दोनों विपक्षी पर नोटिस पहले ही तामील हो रखे हैं।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए आदेश दिया जाता है कि आगामी पेशी तक आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें अन्यथा विपक्षी क्रम–1 व 2 तथा वर्तमान जिला कलक्टर, कोटा व वर्तमान तहसीलदार, कोटा व्यक्तिशः उपस्थित रहें। आदेश की अपालना रहने पर विपक्षीगण को जमानती वारण्ट से तलब किया जाकर कठोर आदेश पारित किया जा सकेगा।

प्रकरण दिनांक 03.11.20205 को पुनः इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /91